

आज दिनांक ... 18/11/25 ..... को उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमे ग्राम स्तरीय समिति वनाधिकार समिति से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क गोखनपुरा से कालीमाटी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या .....7..... जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है उसको उपखंड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारो की मान्यता ) अधिनियम ,2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है । सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइन्मेंट में पड़ने वाली वन भूमि को विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइन्मेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	गोखनपुरा	2.574	0
2	कालीमाटी	0.404	0.386
कुल		2.98 हेक्टेयर	0.386 हेक्टेयर

उपखंड अधिकारी  
उप खंड अधिकारी  
उपखंड अधिकारी

उत्तर वन क्षेत्र

किशनगंज/केलवाडा/भंवरगाढ़/वाहरगाढ़

पंचायत समिति किशनगंज

ग्राम सभा की बैठक में वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क  
जोरधनपुरा के लिए प्राप्त प्रस्ताव को ग्राम स्तरीय  
समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है ।  
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी  
(वनाधिकारों की मान्यता ) अधिनियम , 2006 की धारा 3(2)  
के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर  
कोई दावे लंबित नहीं हैं अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को  
उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है

सहस्री  
9 180483822

99 505 08290

सहस्री

आज दिनांक 15.12.2007 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क गोखनपुरा से कालीमाटी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या 308 का ग्राम स्तरीय समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं हैं अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है। सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 12 पर इन्दाज है तथा ग्राम सभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गयी।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	गोखनपुरा	2.574	0
2	कालीमाटी	0.404	0.386
कुल		2.98 हेक्टेयर	0.386 हेक्टेयर

सरपंच

20/12/07

ग्राम पंचायत, गोखनपुरा  
संसदीय क्षेत्र, गोखनपुरा  
ग्राम पंचायत, रामपुर टारिया  
पंचायत समिति, किशनगंज

पटवारी  
4-8-15  
ग्राम पंचायत, रामपुर टारिया  
संसदीय क्षेत्र, गोखनपुरा  
ग्राम पंचायत, रामपुर टारिया  
पंचायत समिति, किशनगंज

ग्राम पंचायत, रामपुर टारिया  
संसदीय क्षेत्र, गोखनपुरा  
ग्राम पंचायत, रामपुर टारिया  
पंचायत समिति, किशनगंज

आज दिनांक ...16... को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमे वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क गोखनपुरा से कालीमाटी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या ...3... का ग्राम स्तरीय समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारो की मान्यता ) अधिनियम ,2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है । सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है । उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक ...15... पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गयी ।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	गोखनपुरा	2.574	0
2	कालीमाटी	0.404	0.386
कुल		2.98 हेक्टेयर	0.386 हेक्टेयर

सरापंच

ग्राम पंचायत समिति  
ग्राम पंचायत रामपुर टोखिया  
पंचायत समिति किशनगंज

4-8-15  
हस्ताक्षर पटवारी  
पटवार मण्डल  
तहसील किशनगंज (बारा)

ग्राम पंचायत  
ग्राम पंचायत टोखिया  
ग्राम पंचायत रामपुर टोखिया  
पंचायत समिति किशनगंज

# बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. शर्मा एड संस्था

कोटा-6 : 238

G. P.

ग्राम पंचायत / न्याय उप समिति : रामपुर, देहिया ..... पंचायत समिति : देहिया नगाड़ा ..... जिला : झारखंड ..... वर्ष

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
16.05.2015	उदला देहा	श्री. चामराज उरुई		ग्राम पंचायत में 16.5.15 बुक कर के श्रीमान श्रीमान साहिब महोदय उपस्थित हुए पंचायत सचिव के पास उपस्थित हुए RD/MPDH (Common) 2014 न्याय व्यवस्था के अंतर्गत 2014-15 की गणना की जा रही है। 40 (85) अंश की शीट नरगा / देहिया / देहिया नगाड़ा / 2014/18252	
	रामपुर देहिया			ग्राम पंचायत में 15.5.2015 2014-15 का साहिब महोदय का पत्राचार लक्ष्मी देहा / देहिया / नरगा / देहिया नगाड़ा / 2014/18252	
				40 (83) आदि / नरगा / देहिया नगाड़ा / 2014/18252	
				09-03-2015 न्याय शीट नगाड़ा / देहिया नगाड़ा / 2014/18252	
				श्रीमान श्रीमान साहिब महोदय का पत्राचार लक्ष्मी देहा / देहिया / नरगा / देहिया नगाड़ा / 2014/18252	

दस्तावेज

62 गांधी स्मृत्युप की कानूनी प्रतिलिपि के प्रतीकरण  
रुपय निर्माण कार्य

20/12  
16/10  
PWB

प्रस्ताव 30 व्याख्या में वन क्षेत्र में प्रति वस्ती सहक आयुधकार्य  
अनुसूची के तहत प्रस्ताव दिया गया जिसको आयुधकार्य  
का निर्माण हेतु अनुसूची के अधीन बनाया है। अनुसूचित  
जनजाति एवं अन्य परम्परागत जनजातों (जंगली) के  
की जा-पानी अधिनियम 2006 की धारा 3 (3) के अंतर्गत  
निष्पत्ति 2008 के अन्तर्गत इन उद्योगों को बनाया गया है।  
कोई धरो लेखित नहीं है। (अन्य) सर्वसम्पत्ति के  
उपलक्षण को इन उद्योगों को बनाया गया है।  
हेतु अधिनियम की धारा 4  
इस और अनुसूची से कानूनी रूप से संपूर्ण प्रमाणित

20/12/19

सहायक  
गांधी स्मृत्युप की कानूनी प्रतिलिपि  
को सं. नि. सं. 10/19/19/19

20/12/19  
गांधी स्मृत्युप की कानूनी प्रतिलिपि  
को सं. नि. सं. 10/19/19/19